

स्वच्छ भारत अभियान का जनस्वास्थ्य चेतना पर प्रभाव

डॉ. गोपाल विश्वकर्मा

वाणिज्य विभाग

जुबली कॉलेज, भुरकुंडा, रामगढ़, झारखण्ड

gopalbishwakarma7@gmail.com

सारांश

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में आरम्भ किया गया एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना तथा स्वच्छता के माध्यम से जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। वर्ष 2014 से 2016 के बीच लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या खुले में शौच करती थी (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16), जो 2019-21 तक घटकर लगभग 15 से 20 प्रतिशत रह गई (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21)।

लगभग 10 करोड़ शौचालयों के निर्माण से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की पहुँच में अभूतपूर्व सुधार हुआ। सुधारित शौचालयों का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 2015-16 में 49 प्रतिशत थी जो 2019-21 में बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण)। साथ ही, साबुन-पानी से हाथ धोने की सुविधा वाले परिवार 60 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गए।

एक शोधपत्र के अनुसार, इस अभियान के प्रभाव से प्रति वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 शिशु मृत्यु को टाला जा सका (प्रकृति जर्नल, 2023)। हालांकि, व्यवहार परिवर्तन की निरंतरता को बनाये रखना, शौचालयों की गुणवत्ता और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अभी भी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं। फिर भी, यह अभियान भारत में स्वच्छता को जन आन्दोलन का रूप देने और जनस्वास्थ्य चेतना को मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ।

परिचय

स्वच्छता और स्वास्थ्य का आपसी सम्बन्ध अत्यन्त गहरा है। विकासशील देशों में अस्वच्छ पर्यावरण, खुले में शौच जैसी प्रथाएं जलजनित रोगों-दस्त, हैजा, परजीवी संक्रमण और कुपोषण जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं (फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ)। भारत लम्बे समय से इन स्वच्छता सम्बन्धी चुनौतियों से जूझता रहा है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2016 में भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या खुले में शौच करती थी, जो वैश्विक औसत से चार गुना अधिक थी। इस स्थिति के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बीमारियों का बोझ अधिक रहा, तथा बच्चों में मृत्युदर और बौनापन जैसी समस्याएं अधिक पायी गईं। इन स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए न केवल सरकारी पहल की आवश्यकता थी, बल्कि जनजागरूकता भी उतनी ही अनिवार्य थी।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा "स्वच्छ भारत अभियान" का शुभारम्भ किया गया। यह स्वतन्त्र भारत का सबसे बड़ा सफाई और स्वच्छता अभियान बन गया, जिसमें लगभग 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों, विद्यार्थियों तथा नागरिकों की भागीदारी रही।

अभियान का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौचमुक्त घोषित करना तथा स्वच्छता के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना था। यह अभियान न केवल बुनियादी ढाँचे जैसे शौचालय निर्माण पर केन्द्रित था, बल्कि इससे जुड़ी व्यवहारगत चेतना और जनस्वास्थ्य जागरूकता को भी केन्द्र में रखा गया।

यह समझा गया कि जब तक हर नागरिक स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनायेगा, तब तक बीमारी पर नियन्त्रण सम्भव नहीं होगा। इस लेख में आगे विस्तार से चर्चा की गई है कि इस अभियान की विभिन्न नीतियों, क्रियान्वयन और परिणामों ने जनस्वास्थ्य चेतना को कैसे प्रभावित किया, विशेष रूप से स्वास्थ्यकर व्यवहारों जैसे शौचालय का उपयोग, हाथ धोने की आदत और स्वच्छ परिवेश की ओर नागरिकों का दृष्टिकोण कैसे बदला।

स्वच्छ भारत अभियान – पृष्ठभूमि और उद्देश्य

स्वच्छ भारत अभियान के आरम्भ से पूर्व भी भारत में ग्रामीण स्वच्छता के लिए कई योजनाएं चलाई गई थीं। जैसे कि वर्ष 1986 में आरम्भ हुआ “केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम”, वर्ष 1999 में “सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान” तथा वर्ष 2012 में “निर्मल भारत अभियान” (लोक नीति अनुसंधान संस्था)। इन प्रयासों के बावजूद वर्ष 2014 तक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2015 में देश के लगभग 25 करोड़ परिवारों में से आधे से अधिक के पास शौचालय की सुविधा नहीं थी। शहरी क्षेत्रों में भी विशेषकर झुग्गी बस्तियों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की स्थिति दयनीय थी।

इस पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट था कि एक व्यापक और जनआन्दोलनात्मक प्रयास की आवश्यकता है जो स्वच्छता को हर नागरिक की दिनचर्या और जिम्मेदारी बनाये। इसी सोच के तहत इस मिशन को दो भागों में विभाजित कर लागू किया गया।

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

इसका संचालन जलशक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया।

2. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। मिशन की घोषणा के समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना लक्ष्य होगा। इस अभियान का मुख्य आधार महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करना था।

सरकार ने अभियान के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य तय किये—

- खुले में शौच का उन्मूलन: हर घर में शौचालय सुनिश्चित कर प्रत्येक ग्राम, जिला और राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाना।
- स्वच्छता के माध्यम से जीवन गुणवत्ता में सुधार: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देकर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता: लोगों में स्वच्छता के प्रति स्थायी बदलाव लाना, स्वास्थ्य शिक्षा देना और समुदायों को प्रेरित करना।
- हाथ से मैला उठाने की प्रथा का अंत: अमानवीय और अस्वच्छ शौचालय प्रणालियों को समाप्त कर सुरक्षित, आधुनिक विकल्पों को बढ़ावा देना।
- टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन: गाँवों और शहरों में सामुदायिक आधार पर टोस व तरल अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था विकसित करना।

- महिला सुरक्षा और सामाजिक समावेशन: महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा हेतु स्वच्छता सुविधाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, वंचित वर्गों को अभियान में शामिल करना।

इन सभी लक्ष्यों का केन्द्रीय विचार यह था कि स्वच्छता के माध्यम से जनस्वास्थ्य में व्यापक सुधार सम्भव है। सरकार का मानना था कि जब तक नागरिक खुद को इस मिशन का भागीदार नहीं मानते, तब तक स्थायी परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। अतः शौचालय निर्माण के साथ-साथ जनस्वास्थ्य चेतना और व्यवहारगत बदलाव को प्राथमिकता दी गई, जिससे स्वच्छता नीतियों को जनमानस में आत्मसात किया जा सके।

जनस्वास्थ्य चेतना की परिभाषा और उसका महत्व

जनस्वास्थ्य चेतना का अर्थ है – समाज में लोगों का सामूहिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, स्वच्छता पोषण, टीकाकरण, स्वच्छ जल आदि को समझना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। जब आमजन यह जानने लगते हैं कि किन आदतों से बीमारियाँ होती हैं और किन आदतों से बचाव, तब इसे जनस्वास्थ्य चेतना कहा जाता है। यह चेतना केवल सरकारी प्रयासों से नहीं आती, इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक भागीदारी भी आवश्यक होती है।

उदाहरण के लिए, यदि सरकार किसी गाँव में शौचालय बनवा दे, लेकिन लोग यह न समझें कि खुले में शौच से बीमारियाँ फैलती हैं, तो वे उन शौचालयों का उपयोग नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान ने इस व्यवहारगत पहलू को बहुत गम्भीरता से लिया। अभियान के रणनीतिक दस्तावेजों में स्पष्ट किया गया कि—

“केवल शौचालय की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उसका नियमित उपयोग और व्यवहार परिवर्तन अत्यावश्यक है।” (भारत सरकार, जनसंचार प्रभाग)

यही कारण है कि अभियान में लोगों को लगातार समझाया गया कि—“शौचालय सिर्फ सुविधा नहीं है, यह स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असुरक्षित शौच की वजह से मलजनित रोगाणु पानी, मिट्टी और भोजन में पहुँचकर दस्त, हैजा, टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियाँ फैलाते हैं। यदि लोगों को यह जागरूकता होगी कि शौचालय का प्रयोग उन्हें और उनके बच्चों को इन रोगों से बचा सकता है, तो वे स्वयं सुरक्षित व्यवहार अपनाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान ने “स्वच्छता ही सेवा” जैसे संदेशों से यह भावना जगायी कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं, हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा, ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन, और मीडिया अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ाया गया।

इसका सीधा प्रभाव यह पड़ा कि लोग अपने परिवेश को साफ रखने लगे, हाथ धोने की आदत अपनाने लगे और खुले में शौच को त्यागने लगे। इन बदलावों ने न केवल संक्रमण को घटाया, बल्कि नागरिक चेतना को एक नयी दिशा दी।

निष्कर्षतः जनस्वास्थ्य चेतना किसी भी स्वच्छता या स्वास्थ्य कार्यक्रम की आत्मा होती है। यह सुनिश्चित करती है कि बुनियादी ढाँचे का प्रभाव टिकाऊ और दूरगामी हो और स्वच्छ भारत अभियान ने इस दिशा में एक सशक्त आधार स्थापित किया।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत किये गये प्रमुख हस्तक्षेप (नीतियाँ, प्रचार अभियान, बजट आदि) स्वच्छ भारत अभियान के केवल निर्माण आधारित योजना बनाकर व्यवहार परिवर्तन और व्यापक जनसहभागिता पर आधारित जनआन्दोलन बनाने के लिए कई स्तरों पर हस्तक्षेप किये गये।

ये हस्तक्षेप पाँच प्रमुख श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—

1. नीतिगत उपाय और क्रियान्वयन ढाँचा

सरकार ने राष्ट्रीय से लेकर पंचायत स्तर तक एक पाँच-स्तरीय कार्यान्वयन व्यवस्था बनायी—केन्द्र, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम। प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट दिशानिर्देश तय किये गये कि “खुले में शौच मुक्त का अर्थ क्या होगा, जैसे कि—

- गाँव में कहीं भी मानव मल दिखाई न दे।
- हर परिवार एवं सार्वजनिक संस्थान के पास सुरक्षित शौचालय हो।

सरकार ने इस मिशन को समयबद्ध लक्ष्य के रूप में घोषित किया जिससे सभी विभाग और अधिकारी “मिशन मोड” में कार्य करें।

2. वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शौचालय के लिए सरकार ने रु० 12000 की प्रोत्साहन राशि तय की।
- शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के लिए बजट तय हुआ।
- 2014 से 2019 तक केन्द्र सरकार ने केवल ग्रामीण मिशन के लिए रु० 40,700 करोड़ (लगभग 5.8 अरब डॉलर) खर्च किये। सम्पूर्ण मिशन (ग्रामीण + शहरी) का कुल अनुमानित बजट दो लाख करोड़ रुपये था।
- 2014–2019 के बीच लगभग 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ।
- 2020 तक कुल 11.7 करोड़ से अधिक शौचालय बनाये जा चुके थे, जिस पर रुपये 1.4 लाख करोड़ से अधिक खर्च हुए।

3. शौचालय निर्माण और बुनियादी ढाँचा का विकास

- ग्रामीण भारत में दस करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनवाये गये।
- छह लाख से अधिक गाँवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया।

शहरी भारत में 62 लाख से अधिक घरेलू शौचालय और छह लाख से अधिक सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण हुआ।

कई राज्यों ने मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों को शौचालय निर्माण कार्य में जोड़ा। ट्विन पिट शौचालय मॉडल को प्राथमिकता दी गई ताकि कम पानी में टिकाऊ विकल्प मिल सके।

4. व्यापक जनजागरूकता और प्रचार अभियान:

स्वच्छ भारत को जन अभियान बनाने के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, सोशल मीडिया हर माध्यम से प्रचार किया गया।

- प्रसिद्ध हस्तियों को ब्राण्ड एम्बेसडर बनाया गया जैसे कि अभिनेता, खिलाड़ी आदि।
- “दरवाजा बन्द” अभियान के माध्यम से लोगों को खुले में शौच न करने का संदेश दिया गया।
- विद्यालयों में शपथ, प्रतियोगिताएं और “स्वच्छता ही सेवा” पखवाड़ा (15 सितम्बर–2 अक्टूबर) जैसी गतिविधियों से युवाओं को जोड़ा गया।
- सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, बस-अड्डों आदि पर सफाई अभियान चलाये गये।

इन अभियानों का मकसद था—“गंदगी से शर्म, सफाई पर गर्व” की भावना समाज में स्थापित करना।

5. व्यवहार परिवर्तन हेतु सामुदायिक कार्यक्रम

- स्वच्छाग्रही (स्वच्छतादूत) नियुक्त किये गये। एक लाख से अधिक लोगों ने घर-घर जाकर स्वच्छता के लाभ समझाए।
- ग्राम सभाओं में चर्चा, गरिमा रैली और बच्चों की बाल समितियाँ – इन सभी ने सामाजिक दबाव बनाया कि कोई खुले में शौच न करे।

शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों ने सोसाइटीज में बैठकों और अभियानों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया।

6. प्रतिस्पर्धा आधारित स्वच्छता सर्वेक्षण

- केन्द्र सरकार ने हर साल "स्वच्छ सर्वेक्षण" शुरू किया जिसमें शहरों की रैंकिंग स्वच्छता स्तर के आधार पर की गई।
- इससे एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई – "कौन सा शहर सबसे स्वच्छ?"
- ग्रामीण स्तर पर भी इसी तरह के सर्वेक्षण आयोजित हुए।

इन सर्वेक्षणों ने सफाई को केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि जन गौरव का विषय बना दिया।

7. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

- शहरी क्षेत्रों में घर-घर के कचरा संग्रहण प्रणाली लागू की गई – 2020 तक 97% वार्डों में यह व्यवस्था सक्रिय थी।
- गीला और सूखा कचरा अलग करने को प्रोत्साहित किया गया। (हालांकि यह अब तक लगभग 78% वार्डों तक ही पहुँचा)
- कम्पोस्टिंग, रिसाइक्लिंग, वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र लगाये गये – 2020 के अंत तक 68% कचरे का प्रसंस्करण सम्भव हो सका।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबन्धन अभी प्रारम्भिक चरण में है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन फेज़-2 (2020-25) के तहत प्राथमिकता दी जा रही है।

निष्कर्षतः ये सभी हस्तक्षेप मिलकर स्वच्छ भारत अभियान को केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन बनाते हैं। नीति, प्रचार, संरचना और सहभागिता – चारों के संतुलन से यह सम्भव हुआ कि पाँच वर्षों में वह प्रगति हुई जो दशकों से अपेक्षित थी।

जनस्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण (अधिकारिक आँकड़ों सहित)

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत किये गये प्रयासों का जनस्वास्थ्य पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है—

(क) शौचालय कवरेज और खुले में शौच की स्थिति

- वर्ष 2015-16 में केवल 49 प्रतिशत परिवारों के पास सुधारित शौचालय की सुविधा थी (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16).
- ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा और भी कम था, लगभग 38-40 प्रतिशत।
- स्वच्छ भारत अभियान के चलते—

- 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया।
- पाँच वर्षों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ।
- वर्ष 2020 तक खुले में शौच करने वाली जनसंख्या घटकर 15 प्रतिशत के आसपास रह गई (विश्व स्वास्थ्य संगठन – संयुक्त निगरानी रिपोर्ट)

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21 के अनुसार अब केवल 19 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच कर रहे हैं। परिणामस्वरूप वातावरण में मल–मूत्र की उपस्थिति घटी जिससे जल स्रोतों का प्रदूषण कम हुआ और दस्त, हैजा, टाइफाइड जैसे संक्रमणों में गिरावट आयी।

(ख) स्वच्छता और स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार।

- वर्ष 2015–16 में सुधारित शौचालय उपयोग करने वाले परिवार 49 प्रतिशत थे।
- वर्ष 2019–21 तक यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया।
- शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा 82 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 65 प्रतिशत तक पहुँच गया।

इस अवधि में—

- डायरिया जैसे रोगों की आवृत्ति में गिरावट देखी गई, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ शौचालय कवरेज अधिक था।
- वर्ष 2018 में एक आंकलन में बताया गया कि यदि भारत सार्वभौमिक स्वच्छता लक्ष्य (यूनिवर्सल सैनिटेशन) प्राप्त कर लेता है, तो डायरिया व कुपोषण से होने वाली लगभग 3 लाख मौतों को रोका जा सकता है।

एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन (प्रकृति जर्नल, 2023) के अनुसार—

- जिन जिलों में शौचालय कवरेज अधिक रहा, वहाँ शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष औसतन 5.3 अंक गिरी।
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर में 6.8 अंक की गिरावट आई।
- अनुमानतः 60,000 से 70,000 शिशु मौतों को हर वर्ष टाला गया।

(ग) हाथ धोने और स्वच्छ आदतों में सुधार

- वर्ष 2015–16 में साबुन–पानी से हाथ धोने की सुविधा केवल 60 प्रतिशत परिवारों तक सीमित थी।
- वर्ष 2019–21 तक यह बढ़कर 78 प्रतिशत परिवारों तक पहुँच गई।
- यह सुधार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा, जहाँ पहले साबुन का प्रयोग बहुत कम होता था।
- “हाथ धोओ, बीमारियाँ भगाओ” जैसे संदेशों ने जागरूकता फैलाने में सहायता की।
- 2020 के ग्रामीण सर्वेक्षण में 95.4 प्रतिशत घरों में शौचालय उपलब्धता पायी गयी और उनमें से 95 प्रतिशत से अधिक नियमित उपयोग करते थे।

(घ) महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर असर

- पहले महिलाओं को अंधेरे में खेतों या झाड़ियों में जाना पड़ता था, जिससे असुरक्षा, छेड़छाड़ और संक्रमण जैसी

समस्याएं उत्पन्न होती थीं।

- अब घर में शौचालय होने से इन समस्याओं में उल्लेखनीय गिरावट आयी है।
- मासिक धर्म के दौरान भी महिलाएं स्वच्छता बनाये रख पा रही हैं।
- महिलाएं अब न केवल खुद इन आदतों को अपना रही हैं, बल्कि अपने बच्चों और समाज को भी प्रेरित कर रही हैं।

(ड) सामाजिक दृष्टिकोण और जनमत में बदलाव

- जहाँ पहले स्वच्छता पर चर्चा तक नहीं होती थी, अब टॉयलेट, स्वच्छता, ओडीएफ जैसे शब्द आम बोलचाल में आ चुके हैं।
- कई गाँवों और शहरों ने ओडीएफ उत्सव मनाये, जिससे स्वच्छता को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा गया।
- मीडिया और समाज में खुले में शौच करने वालों की आलोचना और स्वच्छता अपनाने वालों की सराहना होने लगी।
- आज बच्चे भी अपने माता-पिता को हाथ धोने की याद दिलाते हैं।
- लोग सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वालों को टोकते हैं – यह जनस्वास्थ्य चेतना का परिपक्व रूप है।

निष्कर्ष:

स्वच्छ भारत अभियान ने केवल ढाँचागत बदलाव ही नहीं किये, बल्कि आदतों, सोच और सामाजिक व्यवहार में एक गहरा परिवर्तन लाया। यह बदलाव भारत को दीर्घकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार की दिशा में ले जा रहा है।

ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्र में प्रभाव की तुलना

स्वच्छ भारत अभियान दोनों क्षेत्रों – ग्रामीण और शहरी के लिए बनाया गया था, पर दोनों की प्राथमिकताएं, चुनौतियां और प्रभाव अलग रहे। इनका विश्लेषण निम्नवत है—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव

ग्रामीण भारत इस अभियान का केन्द्र बिन्दु था, क्योंकि—

- 2014 से पहले लगभग 65–70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी (जनगणना व नीति आयोग)।
- वर्ष 2001 में केवल 22 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय था, जो 2011 में भी सिर्फ 32 प्रतिशत तक ही पहुँचा था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत—

- गाँव-गाँव में व्यक्तिगत शौचालय बनवाये गये।
- लगभग 10 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ।
- लाखों गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- कुएं और हैंड पम्प जैसे जल स्रोतों के पास मल त्याग बन्द हुआ, जिससे जलजनित बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा आदि में कमी आयी।
- महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करती हैं, उन्हें अंधेरे में बाहर नहीं जाना पड़ता।
- बच्चों को अब अपेक्षाकृत स्वच्छ वातावरण में खेलने और बढ़ने का मौका मिला।

सामाजिक चेतना

- लोगों ने शौचालय को सम्मान का प्रतीक माना।
- स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा, ग्राम सभाओं में जागरूकता रैलियां आम हुईं।

केस स्टडी – नदिया जिला, पश्चिम बंगाल

- वर्ष 2015 में देश का पहला ओडीएफ जिला घोषित हुआ।
- “शोबार शौचागार” अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक शौचालय बने।
- बच्चों, महिलाओं और पंचायतों की भागीदारी ने स्वच्छता को आन्दोलन बना दिया।
- परिणामस्वरूप डायरिया जैसे रोगों में 50 प्रतिशत तक कमी देखी गई।

2. शहरी क्षेत्रों में प्रभाव

शहरी भारत में स्थिति कुछ अलग थी—

- अधिकांश घरों में पहले से ही निजी शौचालय उपलब्ध थे।
- खुले में शौच मुख्यतः झुग्गियों और बेघर लोगों तक सीमित था (लगभग 15–20 प्रतिशत)।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत—

- 62 लाख घरेलू और 26 लाख सार्वजनिक शौचालय बनवाये गये।
- 4000 से अधिक शहरों को ओडीएफ घोषित किया गया।

महत्वपूर्ण प्राथमिकता

- सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, स्टेशनों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण
- ठोस कचरा प्रबन्धन को सुधारना, घर-घर कूड़ा संग्रहण, छँटाई, प्रोसेसिंग इत्यादि।

केस स्टडी – इंदौर शहर, मध्य प्रदेश

- लगातार पाँच वर्षों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ।
- 100 प्रतिशत घरों से कचरा संग्रहण, 90 प्रतिशत से अधिक में गीला-सूखा छँटाई।
- नागरिकों ने खुद सफाई में भाग लिया, गंदगी फैलाने वालों को टोकना आम बात बन गई।

स्वास्थ्य लाभ

- डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों में गिरावट।
- कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों में बेहतर बचाव, क्योंकि लोग पहले से ही हाथ धोना, सफाई रखना सीख चुके थे।

तुलनात्मक सारांश

| बिन्दु | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| मुख्य समस्या | खुले में शौच | कचरा प्रबन्धन |
| प्रमुख हस्तक्षेप | शौचालय निर्माण | ठोस अपशिष्ट व्यवस्था |
| सामाजिक बदलाव | शौचालय = गरिमा | सफाई = सामाजिक गौरव |
| चुनौती | दूरदराज इलाकों में पहुँच | कूड़ा प्रोसेसिंग की स्थायित्व |

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत ने जहाँ बुनियादी स्वास्थ्य संकट को हल किया (खुले में शौच), वहीं शहरी भारत ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार किया (स्वच्छ वातावरण, रोग नियंत्रण)। दोनों क्षेत्रों में जनचेतना और भागीदारी ने अभियान को सफल बनाया।

मूल्यांकन हेतु केस स्टडी

स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव को ठोस रूप से समझने के लिए दो उदाहरण हैं—

- नदिया जिला (पश्चिम बंगाल) – ग्रामीण सफलता
- इंदौर शहर (मध्य प्रदेश) – शहरी उत्कृष्टता

केस स्टडी-1: नदिया जिला, पश्चिम बंगाल

- नदिया जिला वर्ष 2015 में देश का पहला खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित जिला बना।
- राज्य सरकार ने इस अभियान को “निर्मल बांग्ला” नाम से चलाया और “शोबार शौचागार” (सभी के लिए शौचालय) इसका नारा बना।

रणनीतियाँ और क्रियान्वयन

- 1) वित्तीय सहयोग
 - रु० 10000 प्रति शौचालय की सहायता राशि
 - निर्माण मजदूरी के लिए मनरेगा का उपयोग
- 2) सामाजिक निगरानी
 - महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और किशोर निगरानी दल बनाये गये।
 - खुले में शौच करने वालों को सार्वजनिक रूप से समझाइश दी गई।

- 3) स्कूलों की भूमिका
 - बच्चों को शपथ दिलाई गई।
 - घर-घर जाकर माता-पिता को प्रेरित किया गया।
- 4) सामूहिक उत्सव
 - लक्ष्य प्राप्ति के बाद गाँव-गाँव में उत्सव और पुरस्कार
 - नदिया को 2015 में संयुक्त राष्ट्र का "पब्लिक सर्विस अवार्ड" भी मिला।

प्रभाव

- वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2016 तक बच्चों में डायरिया के केस 50% तक घटे।
- जल स्रोत स्वच्छ हुए, महिलाओं की गरिमा सुरक्षित हुई।
- स्वच्छता को सामाजिक व्यवहार और सामूहिक जिम्मेदारी का रूप मिला।

केस स्टडी-2: इंदौर शहर, मध्य प्रदेश

- इंदौर ने 2017 से लगातार पाँच वर्षों तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल किया।
- लगभग 30 लाख आबादी वाले इस शहर में सफाई एक जनआन्दोलन बन गई।

रणनीतियाँ और नवाचार

- 1) 100 प्रतिशत घरों में कचरा संग्रहण
 - नगर निगम की गाड़ियाँ प्रतिदिन कूड़ा एकत्र करती हैं।
 - सड़क पर कचरे का ढेर नहीं दिखाई देता।
- 2) गीला और सूखा कचरा अलग देना अनिवार्य।
 - 90 प्रतिशत घरों से अधिक नागरिक इस नियम का पालन करते हैं।
 - नियम न मानने वालों पर जुर्माना
- 3) जनचेतना अभियान
 - "अपना इंदौर, साफ इंदौर" नारा हर जगह
 - सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वालों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाता है।
 - "स्वच्छता ऐप" से लोग शिकायत दर्ज करते हैं व 24 घंटे में समाधान होता है।
- 4) सफाई मित्रों का सम्मान
 - सफाई कर्मियों को केवल कर्मचारी नहीं, समाज के सहयोगी के रूप में देखा जाता है।
- 5) तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
 - सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट्स लगाये गये।
 - नालों की नियमित सफाई होती है।

प्रभाव

- डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों के मामले लगातार घटे।
- कोविड-19 के दौरान भी स्वच्छता आदतों के कारण इंदौर ने बेहतर प्रदर्शन किया।
- नागरिकों ने स्वच्छता को गर्व का विषय बना लिया।

तुलनात्मक सारांश

| बिन्दु | नदिया जिला | इंदौर शहर |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| क्षेत्र | ग्रामीण | शहरी |
| मुख्य लक्ष्य | खुले में शौच उन्मूलन | टोस कचरा प्रबन्धन |
| सफलता की विधि | सामाजिक जनगरुकता, सामूहिक प्रयास | तकनीक + जनभागीदारी |
| पुरस्कार | संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा सम्मान | भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शहर रैंकिंग |

निष्कर्ष

इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक दक्षता जनसहभागिता के साथ आती है तो कोई भी सामाजिक परिवर्तन सम्भव हो जाता है।

स्वास्थ्य व्यवहार में आये परिवर्तन

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं था। इसका मूल उद्देश्य था 'स्वस्थ व्यवहारों को दैनिक आदतों में बदलना।'

इस खण्ड में हम उन व्यवहारगत बदलावों को देखेंगे जो इस मिशन के कारण जनमानस में उत्पन्न हुए—

1. शौचालय उपयोग की आदत

- पहले लोग शौचालय बनने के बाद भी उसका उपयोग नहीं करते थे – आदत, परम्परा और जानकारी की कमी इसके कारण थे।
- लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के निरंतर प्रयासों, निगरानी दलों, स्वच्छाग्रही (स्वयंसेवकों) और स्कूली बच्चों की सक्रियता से यह प्रवृत्ति बदलने लगी।

साक्ष्य

- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अनुसार 95.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय था, और उनमें 95 प्रतिशत से अधिक उनका उपयोग कर रहे थे।
- शौचालय का उपयोग अब सम्मान का प्रतीक बन गया है, और खुले में जाना लज्जा का विषय।

2. हाथ धोने की आदत

- "हाथ धोओ, जिंदगी बचाओ" जैसे संदेशों ने समाज में हाथ की स्वच्छता को ज़रूरी विषय बना दिया।
- स्कूलों में मध्याह्न भोजन से पहले हाथ धोना अनिवार्य किया गया।

साक्ष्य:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21 के अनुसार—78 प्रतिशत परिवारों में साबुन—पानी से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध थी (2015–16 में यह केवल 60% थी)।

- एक स्वतन्त्र अध्ययन (उत्तर प्रदेश, 2020) में पाया गया कि 82.5 प्रतिशत लोग शौच के बाद साबुन से हाथ धो रहे थे — यह अभूतपूर्व सुधार था।

3. घरेलू सफाई और अपशिष्ट निपटान

- 'स्वच्छ गली, स्वच्छ मोहल्ला' जैसे संदेशों ने लोगों को अपने घरों और आस-पड़ोस को साफ रखने के लिए प्रेरित किया।
- महिलाओं के समूह सप्ताह में एक दिन सामूहिक सफाई करते हैं।
- गाँवों में पंचायतें सफाई दिवस घोषित करती हैं।

शहरों में—

- लोग अब घर से ही गीला—सूखा कचरा अलग करते हैं।
- अपशिष्ट छँटाई (सेग्रेगेशन) की जानकारी स्कूलों में दी जा रही है—“हरी बाल्टी में गीला, नीली में सूखा” अब बच्चों को भी पता है।
- धीरे धीरे एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो स्वच्छता को कर्तव्य मानती है।

3. सुरक्षित पेयजल, पोषण और अन्य स्वास्थ्य व्यवहार

स्वच्छ भारत अभियान ने स्वस्थ भारत की अवधारणा को भी जन्म दिया।

- लोग अब पानी छान कर या उबाल कर पीने लगे हैं।
 - खुले में बिकने वाले गंदे खाद्य पदार्थों से परहेज करने की चेतना बढ़ी है।
 - सफाई के साथ—साथ टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य जाँच जैसे विषयों पर भी सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
- यह बदलाव मापना कठिन है, लेकिन सुरक्षित, स्वच्छ वातावरण ने सकारात्मक व्यवहारों की नींव रखी है।

5. समुदायों में नेतृत्व और भागीदारी

- गाँवों में लोग अब खुद अपने गाँव की सफाई के लिए श्रमदान करते हैं।
 - शहरों में आर०डब्ल्यू०ए० (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) सफाईकर्मियों की मॉनीटरिंग करती हैं।
 - स्वच्छता सैनिक जैसी स्वयं सेवी टीमें बन चुकी हैं जो सफाई के लिए जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं।
- यह दर्शाता है कि लोग अब सक्रिय भागीदार बन चुके हैं — केवल लाभार्थी नहीं।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत अभियान जनमानस के आचरण, दृष्टिकोण और आदतों में स्थायी बदलाव लाया है। स्वच्छता अब केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि नागरिक कर्तव्य और गर्व का विषय बन चुकी है।

चुनौतियाँ और सीमाएं

स्वच्छ भारत अभियान ने जितनी अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उतनी ही गम्भीर चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता भी उजागर की हैं। ये चुनौतियाँ निम्नवत् हैं—

1) पूर्ण व्यवहार परिवर्तन की निरंतरता

- शौचालय निर्माण तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन कुछ समुदायों में अभी भी पुरानी आदतें बनी हुई हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21 के अनुसार अभी भी 19 प्रतिशत परिवार खुले में शौच करते हैं।

इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं—

- पानी की अनुपलब्धता
- कमजोर निर्माण
- परम्परागत सोच (कि घर में शौच अशुद्ध माना जाता है)
- सरकारी दावों पर अविश्वास
- निजी रुचि की कमी

समाधान

- सतत जनजागरूकता
- प्रत्येक छूटे व्यक्ति तक पहुँचना
- “कोई न छूटे” सिद्धांत को मजबूत करना

2) बनाये गये शौचालयों की गुणवत्ता और रखरखाव

- कई क्षेत्रों में जल्दबाजी में बनाये गये शौचालय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते।
- विशेषकर सामुदायिक शौचालयों की स्थिति कई शहरों में खराब है।

संसदीय समिति (2020) की रिपोर्ट

4,320 में से केवल 1276 शहरों में ही शौचालयों में पानी, सफाई और रखरखाव की उचित व्यवस्था थी।

- खराब रखरखाव के कारण लोग फिर से खुले में जाने लगते हैं।
- गड्ढे भरने पर सफाई की व्यवस्था न होने से लोग उनका उपयोग छोड़ देते हैं।

समाधान

- पंचायत/नगर पालिका स्तर पर रखरखाव कोष
- सामुदायिक भागीदारी से मरम्मत और स्वच्छता

3) जल आपूर्ति की कमी

- कई सूखा प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में पानी की अनुपलब्धता शौचालय उपयोग में बाधा बनती है।
- कई ग्रामीण परिवार अब भी नदी या तालाब पर जाकर स्नान-शौच एक साथ करते हैं।

समाधान

- जल जीवन मिशन को स्वच्छता मिशन के साथ एकीकृत रूप में लागू करना।
- घर तक जल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

4. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की सीमाएं

- शहरी क्षेत्रों में 2020 तक केवल 65–68 प्रतिशत कचरे का ही प्रसंस्करण हो पा रहा था।
- बहुत से नगर अभी भी कचरा डम्प करते हैं जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण होता है।
- सीवेज टैंक की सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से मल–कीचड़ नदियों में बहाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटान अभी भी प्राथमिक अवस्था में है।

समाधान

- वेस्ट मैनेजमेन्ट को मिशन के केन्द्र में लाना।
- प्रोसेसिंग संयंत्रों का विस्तार।
- अपशिष्ट अलगाव और पुनर्चक्रण को व्यवहार में शामिल करना।

5. जबरन किये गये उपायों की आलोचना

- कुछ राज्यों में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर फोटो खींची गई या जुर्माना लगाया गया।
- कुछ स्थानों पर सरकारी लाभ से वंचित करने की धमकी दी गई।

इस प्रकार की बलात स्वच्छता से विश्वास टूट सकता है और यह गरीबों के लिए अन्यायपूर्ण भी हो सकता है।

समाधान

- स्वैच्छिक सहभागिता को प्राथमिकता।
- डर या अपमान नहीं, समझ और प्रेरणा से व्यवहार परिवर्तन।

6. सर्वेक्षणों में विरोधाभास

- सरकार द्वारा घोषित 100 प्रतिशत ODF और स्वतन्त्र सर्वेक्षण (जैसे NFHS) के बीच विरोधाभास रहा।
- सरकारी आंकड़े लगभग शून्य खुले में शौच बताते हैं, पर छत्थे के अनुसार 19% लोग अभी भी बाहर जाते हैं।

समाधान

- स्वतन्त्र और पारदर्शी मूल्यांकन
- डेटा संग्रह पद्धति का समायोजन
- जहाँ अंतर मिले, वहाँ सुधार की नीति बनाना

7. हाशिए पर स्थित समुदायों तक पहुँच

- बेघर, खानाबदोश, निर्माण श्रमिक, अत्यन्त दूरस्थ आदिवासी समुदाय अब भी शौचालय सुविधाओं से वंचित हैं।
- सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कुछ समुदाय अब भी खुले में जाना पसंद करते हैं।

समाधान

- मोबाइल टॉयलेट, सुलभ सामुदायिक सुविधा
- संवेदनशील समुदायों के लिए विशेष योजना और अनुकूल समाधान

8. दीर्घकालिक स्थायित्व और अगली पीढ़ी को जोड़ना

- यदि सामाजिक प्रयास ढीले पड़े, तो पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं, जैसे अन्य कई सरकारी योजनाओं में हुआ।

समाधान

- स्वच्छता को शिक्षा का हिस्सा बनाना।
- युवाओं को नवाचार और निगरानी से जोड़ना।
- स्वच्छ भारत मिशन-चरण 2 (2020-25) के लक्ष्यों को ज़मीनी स्तर पर मजबूती देना।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ऐतिहासिक है, लेकिन उसे टिकाऊ और पूर्ण बनाने के लिए चुनौतियों का सक्रिय समाधान आवश्यक है। स्वच्छता ऐसा क्षेत्र है जहाँ थोड़ी सी ढील भी दशकों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए निरंतर निवेश, जागरूकता और सहभागिता स्वच्छ भारत की आत्मा बनी रहनी चाहिए।

स्वच्छ भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जनचेतना का आन्दोलन सिद्ध हुआ है। यह अभियान भारत की जनता को स्वच्छता और स्वास्थ्य के सम्बन्ध को समझाने, अपनाने और जीने की प्रेरणा देने वाला प्रयोग रहा। कई दशकों से चली आ रही खुले में शौच की समस्या, जलजनित रोगों की शृंखला और असमान स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच यह अभियान एक क्रांतिकारी हस्तक्षेप के रूप में उभरा। देश भर में शौचालय निर्माण, कचरा प्रबन्धन, हाथ धोने की आदत, सामुदायिक भागीदारी और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, वह अभूतपूर्व रही।

हालांकि, चुनौतियाँ अब भी शेष हैं, विशेषकर व्यवहार परिवर्तन की निरंतरता, गुणवत्ता नियंत्रण और हाशिए पर स्थित समूहों तक पहुँच। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि भारत की जनता अब सक्रिय भागीदार बन चुकी है, सिर्फ लाभार्थी नहीं। स्वच्छता अब मजबूती नहीं, सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी है; और यही है स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी जीत।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16 एवं 2019-21)
2. नीति आयोग की स्वच्छता रिपोर्ट्स
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.)
4. संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त निगरानी रिपोर्ट
5. भारत सरकार – प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.)
6. स्वच्छ सर्वेक्षण (शहरी व ग्रामीण)
7. प्रकृति जर्नल – शिशु मृत्यु दर पर अध्ययन (2023)
8. फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ जर्नल
9. लोकनीति अनुसंधान संस्था (पी.आर.एस. इण्डिया)
10. द प्रिंट, टाइम्स ऑफ इण्डिया, एनडीटीवी, डाउन टु अर्थ
11. स्वच्छ भारत मिशन के आधिकारिक पोर्टल और मिडटर्म रिपोर्ट्स
12. ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट (स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2022)
13. नीति आयोग – जल और स्वच्छता पर नीति पत्र
14. संयुक्त राष्ट्र – सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट गोल्स (एस.डी.जी.6) पर भारत की प्रगति रिपोर्ट

15. स्वच्छ भारत अभियान के ब्राण्डिंग और संचार दस्तावेज़ (द्वारा : जनसंचार प्रभाग)
16. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष – भारत में महिलाओं और शौचालय की भूमिका।
17. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आई.एफ.पी.आर.आई.) द्वारा भारत में शिशु मृत्यु पर अध्ययन।
18. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू स्वच्छता पर आंकड़े
19. सेन्टर फॉर इकॉनमिक डेटा एण्ड एनालिसिस (अशोका विश्वविद्यालय, सीईडीए)
20. लोकसभा सचिवालय – स्थायी समिति की रिपोर्ट (शहरी विकास मंत्रालय पर)